

## सनिमैटोग्राफ (संशोधन) वधियक, 2023

### प्रलिस के लयः

[बौद्धक संपदा अधकार](#), [केंद्रीय फलिस परमाणन बोरड](#), सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952, श्याम बेनेगल समतिस, IT नयिस 2021

### मेन्स के लयः

सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952 में आवश्यक संशोधन

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने सनिमैटोग्राफ (संशोधन) वधियक, 2023 पारस कयस। यह वधियक सेंसरशपिस से लेकर [कॉपीराइट](#) तक को कवर करने के लयिस कानून के दायरे का वसुतार करता है और सखत एंटी-पाइरेसी प्रावधान पेश करता है।

- इस वधियक का उद्देश्य मौजूदा सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952 में संशोधन करना है।

## सनिमैटोग्राफ (संशोधन) वधियक, 2023 में प्रस्तावतिस प्रावधानः

- पायरेसी वरिसधी प्रावधानः** इस वधियक का उद्देश्य अनधकृत ऑडयो-वजुअल रकॉर्डस और कॉपीराइट सामग्री के वतिसरण में शामिल वयक्तयिसों पर सखत दंड लगाकर फलिसों की पायरेसी को रोकना है। इन प्रावधानों में शामिल हैं:
  - सज़ा: 3 महीने से 3 वर्ष तक की कैद।
  - जुरमाना: 3 लाख रुपए से ऑडिटड सकल उत्पादन लागत का 5% तक।
- कॉपीराइट कवरेज का वसुतारः** इसका उद्देश्य सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952 जो क मुख् रूप से सेंसरशपिस पर केंदरतिस था, के कवरेज का वसुतार करते हुए कॉपीराइट सुरक्षा को भी इसके दायरे में लाना है।
  - यह कदम फलिस वतिसरण के उभरते परदृश्य के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य फलिस नरिसाताओं और सामग्री नरिसाताओं के बौद्धक संपदा अधकारों की रक्षा करना है।
- CBFC पर सरकार की सीमतिस शक्तयिसः** यह केंद्रीय फलिस परमाणन बोरड (CBFC) की स्वायत्तता पर ज़ोर देता है।
  - के.एम. शंकरप्पा बनाम भारत संघ (2000) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नरिसणय के आधार पर सरकार CBFC द्वारा लयिस गए नरिसणयों में संशोधन नहीं कर सकतिस है।
- आयु आधारतिस रेटस (U/A रेटस):** संशोधन वधियक उन फलिसों के लयिस एक नई आयु आधारतिस रेटस प्रणाली प्रस्तुत करता है जनके लयिस अभभावकों या माता-पतिस के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वर्तमान U/A रेटस, जो व्पापक आयु सीमा को कवर करतिस है, को तीन भन्न-भन्न श्रेणयिसों में वभिसजतिस कयिस जाएगा:
  - U/A 7+: माता-पतिस या अभभावक के मार्गदर्शन में 7 वर्ष से अधकिस उमर के बच्चों के लयिस उपयुक्त फलिसें।
  - U/A 13+: माता-पतिस या अभभावक के मार्गदर्शन में 13 वर्ष से अधकिस उमर के बच्चों के लयिस उपयुक्त फलिसें।
  - U/A 16+: माता-पतिस या अभभावक के मार्गदर्शन में 16 वर्ष से अधकिस उमर के बच्चों के लयिस उपयुक्त फलिसें।
  - यह नवीन वर्गीकरण प्रणाली सूचना प्रौद्योगकिस नयिस, 2021 और श्याम बेनेगल समतिस की सफिसरसिस (2017) के आधार पर स्ट्रीमसिंग प्लेटफॉर्म के लयिस लागू श्रेणीबद्ध-आयु वर्गीकरण के साथ संरेखतिस है।
- TV एवं अन्य मीडयिस के लयिस पुनः प्रमाणनः** वर्ष 2004 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् से वयस्क/एडल्ट रेटस वाली फलिसों को टेलीवज़न पर प्रतबिंधतिस कर दयिस गया है।
  - जसके परणिसामस्वरूप प्रसारक स्वेच्छा से फलिसों में कटौतिस करते हैं और U/A रेटस के लयिस CBFC से पुनः प्रमाणीकरण की मांग करते हैं।
  - यह वधियक इस प्रथा को औपचारकिस बनाता है, जसके तहत फलिसों को टेलीवज़न और "अन्य मीडयिस" के माध्यम से प्रसारण के लयिस पुनः प्रमाणतिस कयिस जा सकेगा।
- प्रमाणपत्रों की सथायी वैधताः** इस अधनियम में संशोधन के माध्यम CBFC प्रमाणपत्रों की 10 वर्ष की वैधता संबंधी प्रतबिंध को हटाकर उन्हें सथायी वैधता प्रदान की जा सकेगी।

## सनिमैटोग्राफ अधिनियम, 1952:

- **सनिमैटोग्राफ अधिनियम, 1952** को संसद द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये अधिनियमि किये गया था कि फलिमों का प्रदर्शन भारतीय समाज की सहनशीलता की सीमा के अनुसार हो।
  - यह फलिमों को प्रमाणित करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत नरिधारित करता है, इसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता अथवा नैतिकता या मानहानि या न्यायालय की अवमानना जैसे विषय शामिल हैं।
- इस अधिनियम की धारा 3 केंद्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड (जसिे आमतौर पर सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है) की स्थापना का प्रावधान करती है।
  - CBFC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक नकियाय है, जो सनिमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत फलिमों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नरियंत्रित करता है।
- यह बोर्ड के नरिणयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है।

## स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cinematograph-amendment-bill,-2023>

